

प्रार्थीगण/रेस्पोंड रास्ता प्राप्त कर सकते थे। इस तथ्य को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अंदाज किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण निर्णय की श्रेणी में आता है। जिसे अपास्त किया जाना उचित है। इस प्रकार अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य है।



अतः अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 11/16 निर्णय दिनांक 27.2.2020 को अपास्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर किये गये समस्त परिवर्तन प्रभाव शून्य घोषित किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

